



प्रधानमंत्री की 60 सूत्रीय कार्ययोजना

प्रलिस के लिये:

डजिटल डवाइड, ई-कॉर्ट, स्टार्टअप, मशिन कर्मयोगी

मेन्स के लिये:

प्रधानमंत्री की 60 सूत्रीय कार्ययोजना की मुख्य वशिषताएँ

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्र सरकार ने एक व्यापक 60 सूत्रीय कार्ययोजना तैयार की है।

- यह कार्ययोजना वशिषिट मंत्रालयों और वभिगों पर केंद्रति है, लेकनि एक गहन वशिलेषण से पता चलता है कि इसमें सामान्यतः तीन श्रेणथि- शासन के लिये आईटी और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना, व्यावसायिक वातावरण में सुधार और सविलि सेवाओं का उन्नयन शामिल हैं।

प्रमुख बदि

- शासन के लिये आईटी और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना:
 - इलेक्ट्रॉनिकस और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के लिये छात्रवृत्ति के वतिरण को सुव्यवस्थति करने से लेकर वंचति छात्रों हेतु स्वदेशी टैबलेट और लैपटॉप वकिसति करके डजिटल डवाइड के अंतराल को भरने के लिये कई कुशल कार्रवाइयों शामिल हैं।
 - 'मातृभूमि' नामक केंद्रीय डेटाबेस के तहत वर्ष 2023 तक सभी भूमि अभलिखों को डजिटलाइज करना तथा ई-कॉर्ट ससिस्टम के साथ एकीकरण के वषिय/अधिकार से संबंधति मुद्दों पर पारदर्शति को बढ़ावा मलिगा।
 - प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरकिता को जन्म प्रमाणपत्र से जोड़ा जा सकता है और इसे मुख्यधारा में लाया जा सकता है।
- व्यावसायिक वातावरण में सुधार:
 - इसमें कुछ अनुमतथियों को पूरण रूप से समाप्त करना, 10 कषेत्रों में व्यवसाय शुरू करने की लागत को कम करना और इसे वयितनाम एवं इंडोनेशति के समतुल्य बनाना तथा सभी सरकारी सेवाओं के लिये मंजूरी की स्वचालति अधसिचन हेतु सगिल प्वाइंट एक्सेस को शामिल कथि गया है।
 - समय पर भूमि अधगिरहण और वन मंजूरी के लिये राज्यों को प्रोत्साहन देना, एक व्यापक पर्यावरण प्रबंधन अधनियम जो इस कषेत्र में वभिन्नि कानूनों को समाहति करता है, उभरते कषेत्रों के लिये स्टार्टअप और कौशल कार्यकर्मों हेतु एक परामर्श मंच प्रदान करता है।
 - देश के सकल घरेलू उत्पाड (GDP) को बढ़ाने के लिये नरिणयन हेतु भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) मानचतिरण का उपयोग करना।
 - व्यापार समझौतों पर बातचीत और नौकरथियों पर बल देना।
- सविलि सेवाओं का उन्नयन:
 - कषमता नरिमाण (मशिन कर्मयोगी)- केंद्र और राज्यों दोनों में बुनथिदी ढाँचे के वभिन्नि पहलुओं पर अधिकारथियों का प्रशकिषण, वशिषजजता का संचार और उच्च सविलि सेवाओं के लिये नवीनतम तकनीकों के माध्यम से कषमता नरिमाण करना है।
 - सार्वजनिक कषेत्र के उपकर्मों की तरह ही मंत्रालयों और वभिगों के लिये प्रदर्शन आधारति कार्य, स्पष्ट और वशिषिट लक्ष्य, राज्यों के मुद्दों का समाधान करने हेतु संस्थागत तंत्र तथा उनकी सीमति कषमता को देखते हुए प्रत्येक 10 वर्ष में सरकारी प्रकरथि री-इंजीनयिरींग (GPR) के माध्यम से वभिगों का पुनर्रगठन करना।
 - सेवाओं की समग्र गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से संगठन या उसके सदस्यों की 'समस्याओं' या 'ज़रूरतों' का समाधान करने के लिये GPR को लागू करना।
 - मुख्य सूचना अधिकारथियों (CIO) और मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारथियों (CTO) की नयिुक्ति में डेटा का कुशलतापूर्वक उपयोग नहीं कथि जा रहा है। सभी सरकारी आँकड़ों को सभी मंत्रालयों के लिये सुलभ बनाया जाना चाहथि।
- अन्य एजेंडा:
 - नीति आयोग को भी पाँच वर्ष के अंदर गरीबी उन्मुलन का लक्ष्य नरिधारति करने को कहा गया है।

- आवास और शहरी कार्य मंत्रालय को मलनि बस्तियों के प्रसार को रोकने के लिये निर्माण में लगे सेवा कर्मचारियों हेतु आवासीय सुविधाओं की योजना शुरू करने की आवश्यकता है।
- वभिन्न मंत्रालयों की लाभार्थी उन्मुख योजनाओं को एक साथ लाने के लिये आधार (Aadhaar) का उपयोग करने के साथ ही सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा एक 'पारिवारिक डेटाबेस डज़ाइन' वकिसति कयिा गया है जसि आधार की तरह प्रोत्साहति कयिा जा सकता है।
- यह संस्कृति और पर्यटन मंत्रालयों को 100-200 प्रतषिठति/आइकॉनकि संरचनाओं और स्थलों की पहचान करने और वकिसति करने का नरिदेश देता है।
- सगिापुर में स्थापति ऐसे केंद्रों से प्रेरणा लेते हुए सार्वजनिक नजि भागीदारी (PPP) के माध्यम से ग्रामीण कषेत्रों में 'उत्कृषटता केंद्र' स्थापति कयिा जा सकते हैं।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/pm-60-point-action-plan>

